न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 129/2022 दायर दिनाँक 26.05.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. लिछमणराम पुत्र सालुराम, जाति जाट, निवासी पालोट, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जीयाराम पुत्र जवानाराम, जाति जाट, निवासी पालोट, तहसील डीडवाना 2. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188

उपस्थितः—
1. श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **22.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 811 रकबा 0.2300 हैक्टर वाके पालोट स्थित है। जिसमें पक्षकारान की खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। तथा वर्तमान खेत खसरा संख्या 811 के पुराने खसरा संख्या 384 रहे है, तथा वादी लिछमणराम ने खसरा संख्या 384 रकबा 01.08 बीघा में से प्रतिवादी नम्बर 01 जीयाराम से 7 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनॉक 06.07.2020 को वादी ने खरीदकर मौके पर भौतिक रूप से व वास्तविक रूप से कब्जा संभाल लिया, तथा क्रय सुदा हिंस्से पर एक तरफ चार दिवारी व तारबंदी कर गेट चढ़ा रखा है। तथा प्रतिवादी नम्बर 01 ने इस 1/4 हिंस्से का अर्थात 0.0575 हैक्टर भूमि का कब्जा संभला दिया था, जिस पर वादी तब से लेकर आज तक अबाध रूप से काबिज हैं, तथा वादी के नाम से खातेदारी 1/4 हिंस्सा अर्थात 0.0575 हैक्टर दर्ज हैं।

पक्षकारान ने खेत का मौखिक रूप से बंटवारा करने पर वादी ने मौके पर क्रय सुदा, खातेदारी सुदा व बंट सुदा भूमि पर कब्जा कर लिया, लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने के कारण सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्या में भारी असुविधा होती हैं, ऐसी स्थिति में वादी ने अपने खातेदारी व कब्जा काशत व बंट की भूमि को अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

वादी अपनी खातेदारी व बंट की भूमि का कानूनी रूप से बंटवारा करवाकर अलग खाता करवाना चाहता है, जिसका की वह कानूनन हकदार है, प्रतिवादी के खिलाफ वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता हैं क्योंकि वादी की खातेदारी कब्जा सुद व बंट की भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नहीं करें इस हेतु उसके खिलाफ वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का जायज अधिकारी है। अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है। दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है, तथा अन्दर मयाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 02 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता ईकबालिया जबाव पेश कर, वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। साक्ष्य प्रार्थी में वादी का आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश हुआ।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर खेत खसरा सं0 811 रकबा 0.2300 हैक्टर वाकै सरहद पालोट का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वाद के फिकरा संख्या 02 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार वादी को 0.0575 हैक्टर (7 बिस्वा) भूमि का स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 22.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 129/2022 दायर दिनाँक 26.05.2022

वादी		प्रतिवादी
1. लिछमणराम पुत्र सालुराम, जाति जाट, निवासी पालोट, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जीयाराम पुत्र जवानाराम, जाति जाट, निवासी पालोट, तहसील डीडवाना 2. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 22.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर खेत खसरा सं0 811 रकबा 0.2300 हैक्टर वाकै सरहद पालोट का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वाद के फिकरा संख्या 02 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार वादी को 0.0575 हैक्टर (7 बिस्वा) भूमि का स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। नीज. ....–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner